कार्यालय, नगर पंचायत घोघरडीहा (मधुबनी)।

(E-Mail :- npghoghardiha@gmail.com)

पत्रांक :– ..../न0पं0घो0

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत घोघरडीहा,
मधुबनी।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
सामाजिक प्रक्षेत्र–1/स्थानीय निकाय,
बिहार — पटना।

SO-7
4.9.19

घोघरडीहा, दिनांक :– ....वीं अगस्त 2019

विषय : अंकेक्षण आपत्ति प्रतिवेदन सं0. 286/2013–14 की कंडिका सं0. 07 से 27 के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर सूचित करना है कि नगर पंचायत घोघरडीहा के वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक के कंडिका–07 से 27 तक के अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विदित हो कि नगर पंचायत घोघरडीहा के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक – 10/06/2019 के प्रस्ताव सं0. 09 द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त।

अतएव श्रीमान की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

अनु0–.... 154(पन्ने)

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत घोघरडीहा
मधुबनी।

8475
04-09-19

ज्ञापांक :– ....768......./न0पं0घो0 दिनांक :– ..05..वीं अगस्त 2019

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक –सह– संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार – पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

05/08/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत घोघरडीहा
मधुबनी।

05/8/19

नगर पंचायत घोघरडीहा वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0. 286/2013–14 में दर्ज आपत्ति एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0. सी0डब्लू0जे0सी0 19971/2016 के आलोक में जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा गठित संयुक्त जाँच कमिटी के जाँच प्रतिवेदन की कंडिका वार अद्यतन अनुपालन की स्थिति

क्र0	अंकेक्षण टिप्पणी कंडिका सं0.	आरोप	जाँच प्रतिवेदन	अनुपालन
01	कंडिका–7, अंकेक्षण टिप्पणी की कंडिका–01, पेज–05	12वीं वित्त की राशि (2010–11) का बी0आर0जी0एफ0 मद में विचलन	जाँच में पाया गया कि विचलन हुआ है तथा उसकी भरपाई के लिए बी0आ0जी0एफ0 मद से संबंधित बैंक खाता सं0. 30390532730, एस0बी0आई0, घोघरडीहा से 1,50,000.00 रू0 दिनांक – 04.11.2010 को 12वीं वित्त से संबंधित खाता जो इलाहाबाद बैंक, डेवढ़ का खाता सं0. 22167450071 में स्थानांतरित किया गया। बी0आ0जी0एफ0 के उपरोक्त इलाहाबाद बैंक के अद्यतन करायी गयी विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि यह राशि 12वीं वित्त के उपरोक्त वर्णित इलाहाबाद बैंक, डेवढ़ के खाते में अब तक क्रेडिट नहीं हुआ। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक, घोघरडीहा के शाखा प्रबंधक की प्रथम दृष्टया भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होती है। जिस कारण सरकारी राशि का वास्तविक समायोजन आज तक लम्बित रहा। उपरोक्त के आलोक में यदि नगर पंचायत के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी एवं लेखापाल द्वारा भी ससमय बैंक समाशोधन (Reconcilation) कराया गया होता तो यह भूल नहीं होती।	इलाहाबाद बैंक द्वारा विषयांकित राशि मो0. 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) रू0 12वीं वित्त आयोग के खाता सं0. 22167450071 में दिनांक – 04/10/2011 को ही जमा किया है। अनुलग्नक – बैंक स्टेटमेंट, अभिश्रव एवं प्रतिवेदन संलग्न। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - I**
02	कंडिका–7 अंकेक्षण टिप्पणी की कंडिका–02, पेज–5	दिनांक 19.03.2012 को चेक सं0. 22167324669 द्वारा रू0 77996.00 की राशि का स्थानान्तरण एवं रोकड़ बही में इन्दराज नहीं।	इस संबंध में इस कार्यालय के अधीन संधारित बैंक पंजी के अनुसार चेक सं0. 22167324669 का कोई साक्ष्य नगर पंचायत घोघरडीहा के कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रधान लिपिक –सह– लेखापाल द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।	कार्यालय में संधारित चेक बुक निकासी पंजी के अनुसार विषयांकित चेक सं0. 22167324669 निर्गत नहीं है। आरोप मुक्ति योग्य।
03	कंडिका–08	13वीं मद की मार्गदर्शिका के विरूद्ध 15.57 लाख का व्यय	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका–8 में उठायी गई इस आपत्ति में 13वीं वित्त से प्राप्त अनुदान का उपयोग जिन क्षेत्रों में किया जाना है, उसके अन्तर्गत न्यूनतम 50 प्रतिशत आवंटन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाना है। जबकि इसका व्यय दैनिक मजदूर, संविदा कर्मी पर व्यय, सेक्शन मशीन की खरीददारी, ट्रैक्टर मरम्मति पर वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 को मिलाकर कुल – 15,56,936.00 (पन्द्रह लाख छप्पन हजार नौ सौ छत्तीस) रू0 का व्यय किया गया है। कार्यपालक पदधिकारी नगर पंचायत घोघरडीहा के द्वारा 13वीं वित्त से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार – पटना के संकल्प सं0. 3253/न0वि0एवंआ0वि0 दिनांक – 27/10/2014 उपलब्ध कराया गया, जिसकी कंडिका 4(i) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत	विभाग से प्राप्त मार्गदर्शिका /आवंटन के अनुकूल एवं नगर पंचायत घोघरडीहा के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक – 27/06/2011 के प्रस्ताव सं0. 03 के अनुपालन एवं तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा संचिका पर प्राप्त अनुमति के आलोक में विषयांकित राशि की व्यय की गई है। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - II**

			उपकरणों के क्रय, उपकरणों को रखने हेतु शेड का निर्माण, सफाई हेतु मजदूरी के भुगतान, ट्रैक्टर के भाड़ा भुगतान, आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई हेतु एजेंसी के जाँच के क्रम में पाया गया कि सेक्शन मशीन की खरीददारी जो वर्ष 2011–12 में मो0. 4,94,255.00 (चार लाख चौरानवे हजार दो सौ पचपन) रू0 का किया गया व्यय 13वीं वित्त के मार्गदर्शिका के अनुकूल प्रतीत होता है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।	
04	कंडिका–09	सोलर लाईट के अधिष्ठापन पर अनियमित व्यय	लेखा परीक्षा टिप्पणी क्रमांक 01 से 05 तक के जाँचोपरान्त पाया गया कि – 9(1)– जिन 06 सोलर लाईट के निविदा का प्रकाशन दिनांक – 20.12.2010 को किया गया उसके आलोक में एम0के0 ईलेक्ट्रोनिक्स एण्ड ईंजीनियरिंग, दरभंगा के निविदा के साथ अग्रधन की राशि नहीं रहने के कारण तकनीकी स्तर पर उसे अमान्य करते हुए उसके अतिरिक्त निविदा में सफल निविदादाताओं के न्यूनतम दर वाले सी0आई0पी0आई0एल0 टेक्नोलॉजी लालबाग, दरभंगा को क्रयादेश दिया गया था। इसका दर प्रति सेट 47,680.00 (सैतालीस हजार छः सौ अस्सी) रू0 था। निविदा प्रकाशन एवं एकरारनामा में गुणवत्ता एवं विशिष्टियों का उल्लेख नहीं किया गया। इससे बिहार वित्त नियमावली (संशोधित) 2005 का नियम – 131 का अनुपालन नहीं किया गया है। भुगतान के पूर्व विशेषज्ञ से जाँच नहीं करायी गयी। 9(2)–दिनांक 11.07.2011 के 14 सोलर लाईट हेतु प्रकाशित निविदा में एस0पी0 ट्रेडिंग एण्ड कन्सलटेंट, साक्ची, झारखंड द्वारा अग्रधन से संबंधित बैंक ड्राफ्ट /चेक संलग्न नहीं रहने के कारण इसे क्रय समिति द्वारा अमान्य किया गया था, तत्पश्चात कार्यादेश श्रीगणेश ट्रेडर्स, नेहरा, मनीगाछी, दरभंगा को प्रति सेट–45,312.00 (पैतालीस हजार तीस सौ बारह) रू0 के आलोक में दिया गया। निविदा प्रकाशन एवं एकरारनामा में गुणवत्ता एवं विशिष्टियों का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें बिहार वित्त नियमावली (संशोधित) 2005 का नियम – 131 का अनुपालन नहीं किया गया है। भुगतान के पूर्व विशेषज्ञ से जाँच नहीं करायी गयी। 9(3)–सी0आई0पी0आई0एल0 टेक्नोलॉजी, लालबाग, दरभंगा का वारंटी तीन साल एवं श्रीगणेश ट्रेडर्स, नेहरा, मनीगाछी, दरभंगा का वारंटी एक साल का था। दिनांक – 26.11.2012 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 75 प्रतिशत सोलर लाईट की मरम्मति के लिए लोकल मिस्त्री से ठीक कराने हेतु 5000.00 (पाँच हजार) रू0 अग्रीम देने का प्रस्ताव पारित किया गया। उपरोक्त दोनों आपूर्तिकर्त्ताओं में से किस आपूर्तिकर्त्ता का सोलर लाईट खराब था, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी। दिनांक – 26.11.2012 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक सी0आई0पी0आई0एल0 टेक्नोलॉजी, लालबाग, दरभंगा का आपूर्ति सेट तीन साल की वारंटी के अधीन था। फिर अग्रीम का	(1) सोलर लाईट खरीद के संबंध में कहना है कि दिनांक – 20/12/2010 को दैनिक जागरण समाचर पत्र में निविदा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तय नियम एवं शर्तों के अनुरूप अग्रधन के रूप में आपूर्ति कर्त्ताओं द्वारा मो0. 5000.00 (पाँच हजार) रू0 मात्र जमा किया जाना था। M.K.Electonics, दरभंगा द्वारा अग्रधन की राशि जमा नहीं की गई थी। फलतः निविदा में अंकित नियम एवं शर्तों के अनुरूप संलग्न कागजात के आधार पर तुलनात्मक विवरणी में सुयोग्य पाये गये आपूर्तिकर्त्ताओं से सोलर लाईट की खरीद की गई थी। (2) नगर पंचायत घोघरडीहा के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक – 26/11/12 के अन्यान्य प्रस्ताव सं0. 01 अनुपालन में सोलर लाईट की मरम्मति का कार्य करवायी गयी है। (3) सोलर लाईट में लगाये गये बैट्री के वारंटी कार्ड के संबंध में कहना है कि तत्कालीन प्रधान सहायक –सह– लेखापाल का सेवा काल में ही आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा किसी को प्रभार नहीं दिया गया है। वारंटी कार्ड की काफी खोज बीन की गई है। ऐसी परिस्थिति में बैट्री वारंटी के संबंध में स्पष्टता संभव नहीं है। आरोप मुक्ति योग्य। (4) सोलर लाईट आपूतिकर्त्ताओं से काटी गई वैट की राशि 38,954.00

			प्रस्ताव पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इस रूप में मरम्मति मद में किया गया भुगतान नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। 9(4)–सोलर लाईट में लगाये गये एक्साईड बैट्री का वारंटी कार्ड जाँच के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया है। 9(5)–आपूर्तिकर्त्ता से काटी गई वैट की राशि 38,954.00 (अड़तीस हजार नौ सौ चौबन) रू0 वाणिज्य कर विभाग को अब तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है।	(अड़तीस हजार नौ सौ चौबन) रू0 वाणिज्यिक कर विभाग, झंझारपुर को चालान के माध्यम से जमा करायी जा चुकी है। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - III**
05	कंडिका–10	दोहरा भुगतान	13वीं वित्त की राशि से श्री परितोष मल्लिक, ट्रैक्टर चालक को मजदूर के रूप में भी किये गये भुगतान मो0. 33000.00 (तैतीस हजार) की वसूली करने का निदेश अंकेक्षण दल द्वारा दिया गया था। इसके आलोक में कुल 14 किस्तों में कुल–23,000.00 (तेईस हजार) की अंतिम वसूली दिनांक 09/08/2018 तक की जा चुकी है। शेष राशि मो0. 10,000.00 (दस हजार) अभी भी वसूलनीय है।	13वीं वित्त राशि से श्री परतोष मल्लिक, ट्रैक्टर चालक को दोहरी मजदूर के रूप में भुगतान किये गये 33,000.00 (तैतीस हजार) रू0 में से 33000.00 (तैतीस हजार) रू0 वसूली जमा करा ली गई है। शेष वसूलनीय राशि शून्य। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - IV**
06	कंडिका–11	अनियमित भुगतान	13वीं वित्त की राशि से श्री अशोक कुमार झा, एम्बुलेंस चालक को एम्बुलेंस खराब होने की स्थिति में भी कुल किये गये भुगतान मो0. 12,000.00 (बारह हजार) रू0 की वसूली करने का निदेश अंकेक्षण दल द्वारा दिया गया था। इसके आलोक में कुल 5 किस्तों में कुल 12,000.00 (बारह हजार) रू0 की पूर्ण वसूली की जा चुकी है। अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन हो चुका है।	13वीं वित्त की राशि श्री अशोक कुमार झा, एम्बूलेंस चालक को भुगतान की गई 12000.00 (बारह हजार) रू0 की पूर्ण वसूली की जा चुकी है। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - V**
07	कंडिका–12	बकाया किराया की राशि	31 मार्च–2013 तक का कुल 2,47,600.00 (दो लाख सैतालीस हजार छः सौ) रू0 दूकान किराया का बकाया राशि की वसूली की चुकी है। अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन हो चुका है।	31 मार्च–2013 तक विभिन्न व्यवसायिक भवन के दुकानदारों से कुल 2,47,600.00 (दो लाख सैतालीस हजार छः सौ) रू0 वसूल कर ली गई है। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - VI**
08	कंडिका–13	श्रम सेस की कटौती नहीं करना	अंकेक्षण दल के प्रतिवेदन के आलोक में जाँच में यह पाया गया कि मो0. 61,614.00 (एकसठ हजार छः सौ चौदह) रू0 श्रम सेस की वसूली नहीं हुई है। वर्त्तमान में श्रम सेस की कटौती की जा रही है।	श्रम सेस की कटौती राशि मो0. 61614.00 (एकसठ हजार छः सौ चौदह) रू0 के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में मो0. 17641.00 + 23589.00 = 41230.00 (एकतालीस हजार दो सौ तीस) रू0 मात्र का डी0डी0 जमा किया जा चुका है। पुनः विविध रसीद सं0. 5502, 5695, 5696 एवं 5699 द्वारा मो0. 4926.00 (चार हजार नौ सौ छब्बीस) रू0 मात्र वसूली कर ली गई है जिसका डी0डी0 विभाग में जमा किया जाना है। शेष की वसूली हेतु प्रक्रियाधीन है।

				आरोप अनुपालित माना जा सकता है। **Annexure - VII**
09	कंडिका–14	दैनिक मजदूरों का अनियमित भुगतान (9,81,216.00) रू0	अंकेक्षण दल के आपत्ति के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा यह बताया गया कि नगर विकास विभाग, बिहार – पटना के आवंटन आदेश पत्रांक – 95/न0वि0एवंआ0वि0 दिनांक – 17/08/2010 की कंडिका 1 ख(i) एवं पत्रांक – 3253 दिनांक – 27/10/2014 की कंडिका 4(i) में दिये गये निदेश के आलोक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस राशि का भुगतान किया गया है। इस संबंध में सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन भी प्राप्त है। इस भुगतान के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।	विभागीय निदेश के आलोक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्राप्त आवंटन की राशि से विषयांकित राशि की भुगतान की गई है। इस संबंध में नगर पंचायत घोघरडीहा सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन भी प्राप्त है। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - VIII**
10	कंडिका–15	बजट नहीं बनाया जाना	अंकेक्षण अवधि का बजट नहीं बना था, किन्तु अब इसका अनुपालन हो रहा है।	अंकेक्षण अवधि तक कुशल, एवं अनुभवी कर्मी की कमी के कारण बजट नहीं बनाया जा सका था। किन्तु अब अनुपालन की जा रही है। **Annexure - IX**
11	कंडिका–16	सरकारी अनुदान	जॉच के क्रम आवंटन पंजी संधारित पायी गयी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा यह बताया गया कि नगर निकाय को प्राप्त होने वाले आवंटन अनुदान शीर्ष में आता है। प्राप्त आवंटन को कोषागार में विपत्र के माध्यम से पी0एल0 खाते में जमा किया जाता है तथा पी0एल0 से निकासी होती है और इसका प्लस, माईनस मेमारेंडम महालेखाकार, बिहार – पटना को कोषागार के माध्यम से प्रति माह के मासिक लेखा में भेजा जाता है। अंकेक्षण दल द्वारा यदि कोषागार के अभिलेख से भी इसका सत्यापन कर लिया गया होता तो अच्छा होता। अतः इसमें अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।	सरकारी अनुदान पंजी की संधारण की गई है। विभाग से प्राप्त होने वाला आवंटन अनुदान शीर्ष में आता है, जो कोषागार में विपत्र के माध्यम से पी0एल0 खाते में जमा की जाती है तथा पी0एल0 से ही निकासी होती है। जिसका प्लस माईनस मेमोरंडम माहालेखाकार, बिहार – पटना को भेजी जाती है। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - X**
12	कंडिका–17	अव्यवहृत अनुदान राशि 8,12,831.00 रू0	अंकेक्षण आपत्ति के क्रमांक 01 से 06 तक के विभिन्न मदों में से व्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना में उक्त राशि हस्तांतरित कर दी गयी है तथा शेष मद के राशि का व्यय करते हुए संबंधित बैंक खाता बन्द कर दिया गया है। इस संदर्भ में कृत हस्तांतरित के संबंधि में विभाग से मंतव्य प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।	
13	कंडिका–18	प्रशासनिक भवन की राशि का अवरूद्धिकरण	प्रशासनिक भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। सम्प्रति नगर पंचायत कार्यालय इसमें कार्यरत है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार – पटना के ज्ञापांक 530 दिनांक – 07/04/2017 के द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार – पटना को भेजा जा चुका है।	प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें कार्यालय संचालित है। व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय पत्रांक – 530 दिनांक – 07/04/17 द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना को भेजी जा चुकी है। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - XI**

14	कंडिका–19	होल्डिंग कर का निर्धारण नहीं	जाँच के दौरान कर निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्त्तमान में भी यह पाया गया कि नगर पंचायत घोघरडीहा की स्थापना वर्ष 1985 से अब तक होल्डिंग कर का निर्धारण नहीं किया गया है।	वर्त्तमान में नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा होल्डिंग /सम्पत्ति कर की गणना कर ली गई है। उक्त के आलोक में आम नागरिकों से माह 31–जुलाई–19 तक में 1,36,044.00 (एक लाख छत्तीस हजार चौवालीस) रू0 मात्र का होल्डिंग टैक्स वसूल कर नगर निकाय के सामान्य निधि कोष में जमा किया जा चुका है। शेष की वसूली प्रक्रियाधीन। आरोप मुक्ति योग्य। **Annexure - XII**
15	कंडिका–20	वाहन शुल्क बंदोवस्ती	वाहन शुल्क बन्दोवस्ती से संबंधित श्री कपिलदेव प्रसाद यादव द्वारा 34,750.00 (चौतीस हजार सात सौ पचास) रू0 नगर पंचायत घोघरडीहा में जमा नहीं करने के कारण अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति की गयी थी। श्री यादव द्वारा नाजिर रसीद सं0. 3049 दिनांक – 02/11/2012 को मो0. 30,000.00 रू0 तथा नाजिर रसीद सं0. 3094 दिनांक – 28/02/2013 द्वारा 4750.00 रू0 कुल–34,750.00 रू0 जमा किया जा चुका है। इस प्रकार अंकेक्षण दल के आपत्ति का अनुपालन हो चुका है।	राशि की वसूली कर नगर निकाय के सामान्य निधि कोष में जमा किया जा चुका है। आपत्ति अनुपालित समझा जाय। **Annexure - XIII**
16	कंडिका–20 (क)	बन्दोवस्ती पशु वधशाला	पशु वधशाला की बन्दोवस्ती अब तक नहीं की गयी है। जाँच के दौरान कर निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रधान लिपिक ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पशु वधशाला पर बन्दोवस्ती स्थगित है। इस आशय का कोई पत्र/आदेश नहीं दिखाया गया। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।	वितीय वर्ष 2009–09 में पशु वधशाला की बन्दोवस्ती सड़क के किनारे खुले जगहों पर की गई थी। अंकनीय है कि सरकार से प्राप्त निदेश एवं माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के आलोक में प्रदूषण एवं संक्रमण के रोकथाम हेतु खुले में वधशाला पर रोक लगायी गई है। चुँकि नगर पंचायत की अपनी जमीन नहीं है। आपत्ति अनुपालित योग्य। **Annexure - XIV**
17	कंडिका–21	बन्दोवस्ती की राशि पर 03 प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं	वाहन सेवा शुल्क के बन्दोवस्ती श्री कपिलदेव प्रसाद यादव से बन्दोवस्ती की कुल राशि 70250.00 रू0 का 03 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क 2107.00 रू0 की वसूली हेतु श्री यादव को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत घोघरडीहा ने अपने कार्यालय पत्रांक – 614 दिनांक – 01/08/2018 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। इस बकाया राशि की वसूली अब तक नहीं हो पायी है।	बन्दोवस्ती की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क वसूली बन्दोवस्तधारी श्री कपिल देव यादव से प्राप्ति रसीद सं0. 5526 दि0. 29/12/2018 द्वारा मो0. 2107.00 (दो हजार एक सौ सात) रू0 जमा करा ली गई है। आपत्ति अनुपालित समझा जाय। **Annexure - XV**

18	कंडिका–22	अग्रिम	अग्रिम पंजी का संधारण नहीं पाया गया। प्रधान लिपिक –सह– लेखापाल द्वारा अग्रिम संबंधी विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकी। वेतन भुगतान पंजी अवलोकन से पाया गया कि वेतन भुगतान के क्रम में संबंधित कर्मियों से अग्रिम की कटौती भी होती रही है। लेकिन वसूली अभी पूर्णतः नहीं की गयी है। इस संबंध में अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधान लिपिक –सह– लेखापाल के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।	तत्कालीन प्रधान सहायक –सह– लेखापाल स्व0 महेशकान्त झा के द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया। वैसे वेतन भुगतान पंजी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संबंधित कर्मियों से अग्रिम की कटौती/समायोजन होती रही है। आपत्ति अनुपालित माना जाय। **Annexure - XVI**
19	कंडिका–23	विविध रसीद से वसूली गई राशि नगर पंचायत के निधि में जमा नहीं करना	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में 3,47,260.00 (तीन लाख सैतालीस हजार दो सौ साठ) रू0 वसूली योग्य पाया गया, जो वसूली तत्कालीन रसीद प्राप्तकर्त्ता महेशकान्त झा, तदेन प्रधान लिपिक –सह– लेखापाल के पास थी। महेशकान्त झा की मृत्यु दिनांक – 16/12/2014 को हो गयी है। इस कारण राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं हो सकी है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।	तत्कालीन प्रधान सहायक –सह– लेखापाल स्व0 महेशकान्त झा द्वारा विविध रसीद के माध्यम से वसूली की गई राशि 3,47,260.00 (तीन लाख सैतालीस हजार दो सौ साठ) रू0 नगर निकाय के सामान्य निधि कोष में जमा कराने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक – 152 दि0. 28/01/2019 द्वारा उनके उत्तराधिकारी को सूचना निर्गत किया गया है। आपत्ति अनुपालित माना जा सकता है। **Annexure - XVII**
20	कंडिका–24	संचार (मोबाईल टॉवर) पर 4.97 लाख रू0 बकाया	कुल – 06 मोबाईल टॉवर इस नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित है, सभी एजेंसी के द्वारा पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा बताया गया कि कई पत्रों के माध्यम से बकाया राशि जमा करने हेतु पत्राचार किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने टॉवर कम्पनियों द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0. 15498/2010 तथा 4082/2014 दायर किया गया है जिसके आधार पर विभाग का अग्रेतर कार्रवाई का आदेश अप्राप्त है। इस संबंध में विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।	नगर क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित मोबाईल टॉवर के प्रबधको को पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क जमा करने हेतु पूर्व में भी पत्राचार की गई है तथा वर्त्तमान में भी प्रक्रियाधीन। **Annexure - XVIII**
21	कंडिका–25	अपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम भुगतान	वित्तीय वर्ष 2012–13 के माह मार्च में कुल 11 योजनाओं के संबंध में संवेदकों से एकरारनामा के अनुसार 20.95 लाख अग्रिम बिना कार्य पूर्ण किये दिये जाने पर अंकेक्षण दल ने आपत्ति की है। इस संबंध में जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि योजना सं0. 09/12–13 का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। इसमें अग्रिम भी नहीं दिया गया है। शेष योजनाओं में से योजना सं0. 11/12–13 में भी अग्रिम नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य 09 योजनाओं में अग्रिम दिया गया है, जबकि एकरारनामा में अग्रिम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं था। 07 योजनायें जो निम्नलिखित (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग) योजना से संबंधित है, जो योजना पूर्ण	योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने की जिम्मेवारी एवं दायित्व तकनीकी पदाधिकारियों की है। योजना पंजी का संधारण वित्तीय वर्ष 2013–14 से की जा रही है, के विरूद्ध कटौतियाँ (आयकर, बिक्रीकर आदि) की जा रही है। आपत्ति अनुपालित माना जा सकता है।

			करने का साक्ष्य नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। योजना क्र0. 2/12–13, क्र0. 3/12–13, क्र0 4/12–13, क्र0. 7/12–13, क्र0. 8/12–13, क्र0. 10/12–13 एवं क्र0. 11/12–13। शेष 03 योजनाओं का अभिलेख कार्यालय द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी ज्ञातव्य है कि श्री मुकुन्द कुमार झा, ग्राम+पोस्ट–घोघरडीहा, वार्ड नं0. 10 द्वारा दिये यगे परिवाद पत्र के आलोक में निगरानी विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षण कोषांग से कराये गये जाँच के क्रम में योजना सं0. 6/12–13 मुक्ति राउत के घर से रेलवे मुमटी तक नाला निर्माण (वार्ड नं0.–08) में भौतिक रूप में अनियमितता नहीं पायी गयी। लेकिन मापी पुस्त में मापी की जाँच सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता से बिना कराये संवेदक को भुगतान कर दिये जाने से आयकर, बिक्रीकर, रॉयल्टी तथा जमानत की राशि कटौती नहीं करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी एवं लेखापाल नगर पंचायत घोघरडीहा को उत्तरदायी माना है। इस संबंध में उल्लेख करना है कि योजनाओं के कनीय अभियंता एवं पर्यवेक्षीय सहायक अभियंता द्वारा समय – समय पर अपेक्षित जाँच नहीं किये जाने से योजनाओं को समय पर नहीं किया जा सका और उसकी गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुआ है। योजनाओं की जाँच तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बनाकर भी करायी जा सकती है।	
22	कंडिका–26	योजना पूर्ण नहीं करने पर जुर्माना की कटौती नहीं करना	कोई भी योजना एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि दो माह के अन्तर्गत पूरी नहीं हुई है, जो एकरारनामा का उल्लंघन है। पूर्ण किये गये योजनाओं के अन्तिम भुगतान के क्रम में योजना पूर्ण करने में हुए विलम्ब के लिए उक्त योजना के संवेदक के भुगतान योग्य राशि से जुर्माने की 3 प्रतिशत राश्शि की कटौती करते हुए शेष राशि का भुगतान किया जाना था। उक्त कटौती नहीं की गयी है। इस जुर्माने की राशि की वसूली हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा कार्रवाई आवश्यक है।	
23	कंडिका–27	योजना पंजी का संधारण नहीं किया जाना	वर्ष 2013–14 से योजना पंजी का संधारण प्रारम्भ किया जा चुका है।	

नोट : नगर पंचायत घोघरडीहा के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक – 10/06/2019 के प्रस्ताव सं0. 09 द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत घोघरडीहा
मधुबनी।